

**राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच**

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5334/2011

1. दिनेश इनानी पुत्र श्री नंदलाल जी इंदानी, 32-ए, कुम्भा नगर, चित्तौड़गढ़, निदेशक, अरावली एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड चित्तौड़गढ़।
2. योगेश इनानी पुत्र श्री गोवर्धनलाल जी इनानी, प्रबंधक, होटल पद्मिनी, चित्तौड़गढ़।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, खान विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. उप सचिव, खान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. खनन अभियंता, चित्तौड़गढ़।
4. सहायक खनन अभियंता, चित्तौड़गढ़।
5. सहायक खनन अभियंता, निम्बाहेड़ा।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री विमल चौधरी
उत्तरदाता(ओं) के लिए : श्री राहुल लोढा, एजीसी

माननीय श्री जस्टिस अवनीश झिंगन
आदेश

22/10/2024

1. यह याचिका क्रमशः जुर्माना लगाने और पुनरीक्षण को खारिज करने के दिनांक 08.07.2009 और 24.02.2011 के आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता, ग्राम दगला स्थित खसरा संख्या 376, 378/453 का खातेदार है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 48 के अंतर्गत याचिकाकर्ता को 08.06.2009 को एक नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का आधार सहायक खनिज अभियंता द्वारा 07.06.2009 को की गई निरीक्षण रिपोर्ट थी, जिसमें बताया गया था कि याचिकाकर्ता की खातेदारी भूमि पर अवैध खनन किया गया था। नोटिस का प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता को जवाब दिया गया। 08.07.2009 के आदेश द्वारा 3,87,800/- रुपये का जुर्माना लगाया गया। याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण वाद 24.02.2011 को खारिज कर दिया गया।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार नहीं किया गया। जुर्माना एक निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर लगाया गया, जिस पर न तो याचिकाकर्ता और न ही किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर थे और न ही वह याचिकाकर्ता को दी गई थी।
4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की खातेदारी भूमि पर अवैध खनन किया जाना पाया गया। इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और न ही खनन के लिए कोई प्राधिकरण प्रस्तुत किया गया।
5. जुर्माने का आधार एक निरीक्षण रिपोर्ट है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि याचिकाकर्ता की खातेदारी भूमि से निकाली गई बजरी का उपयोग याचिकाकर्ता के स्वामित्व वाले होटल तक सड़क बनाने में किया गया था। जुर्माने का आदेश एक अस्पष्ट आदेश है और याचिकाकर्ता के उत्तर को यह कहकर टाल दिया गया है कि यह संतोषजनक नहीं है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिकूल सामग्री का न तो सामना किया गया और न ही प्रस्तुत किया गया। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के तर्कों पर ध्यान दिया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की।
6. विवादित आदेशों को रद्द किया जाता है तथा मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से तय करने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 को वापस भेज दिया जाता है।
7. आगे की देरी से बचने के लिए, याचिकाकर्ता को दिनांक 05.12.2024 को प्रातः 11.00 बजे प्रतिवादी संख्या 3 के कार्यालय में उपस्थित होने की अनुमति दी जाए।
8. याचिका स्वीकार की जाती है।

(अवनीश झिंगन), जे

चक्र 94

कमिटी के सदस्य हैं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

[2024:आरजे-जेपी:44448]

[सीडब्ल्यू-5334/2011]



Tarun Mehra
Advocate